कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर (राज0)

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर विकास न्यास, अलवर कार्यालय के स्टोर में अनुमानित पुस्तक मूल्य 15.35 लाख के अनुपयोगी नकारा/बेशी सामान की (जहॉ है जैसा है कि स्थिति में) नीलामी हेतु इच्छुक बोलीदाताओ को आमंत्रित किया जाता है। सामान की नीलामी न्यास भवन के स्टोर परिसर में दिनांक 20.06.2022 को मध्याह पूर्व 11.00 बजे से आयोजित की जावेगी इच्छुक बोलीदाता दिनांक 20.06.2022 को अपरान्ह 2.00 बजे तक अमानत राशि रूपये 10000/- प्रत्येक लौट नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक जमा करवाकर भाग ले सकते है। बोलीदाता अपने पेन कॉर्ड की प्रमाणित प्रति साथ में लावे इच्छुक बोलीदाता अनुपयोगी नकारा/बेशी सामान का अवलोकन बोली शुरू होने से पूर्व परिसर में कर सकता है। बोली समाप्ति के पश्चात सफल बोलीदाता को बोली राशि की 25 प्रतिशत उसी कार्य दिवस में नगद जमा करानी होगी तथा शेष राशि आगामी कार्य दिवस को सायः 3.00 बजे तक जमा करानी होगी। स्वीकृत नीलामी राशि के अतिरिक्त नियमानुसार जीएसटी एवं आयकर टीसीएस राशि देनी होगी। सम्पूर्ण राशि जमा कराने के पश्चात ही सामान को न्यास परिसर से ले जाने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

सचिव
नगर विकास न्यास, अलवर

क्रमांकः/लेखा/4350-56/22 दिनांक-06/06/2022

प्रतिलिपि :-

01. वरिष्ठ लेखाधिकारी, न्यास अलवर को भेजकर लेख है कि उक्त नीलामी की सूचना को समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करें तथा न्यास की साईट पर डाला जाना सुनिश्चित करें।
02. प्रभारी अधिकारी स्टोर, न्यास अलवर।

सचिव
नगर विकास न्यास, अलवर

I:\uit\Jasvinder store keepar\useles material letter.docx

कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर (राज0)

नीलामी सूचना एवं सम्बन्धित जानकारी एवं शर्ते

01. न्यूनतम बोली कार्यालय द्वारा गठित नीलामी समिति द्वारा निर्धारित की जावेगी। निर्धारित बोली से कम की बोली स्वीकार नही की जावेगी।

02. नीलामी में भाग लेने के लिए अमानत राशि रूपये 10000/– नीलामी से पूर्व प्रत्येक लॉट के लिए जमा करानी आवश्यक होगी। नीलामी में भाग लेने के लिए फोटो आईडी, पैन कॉर्ड की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

03. अमानत राशि जमा कराने के उपरान्त ही नीलामी में भाग लिया जा सकेगा।

04. नीलामी स्वीकृत करने एवं अस्वीकृत करने के समस्त अधिकार नीलामी समिति को होगा।

05. जिस राशि पर अंतिम बोली स्वीकृत की जावेगी उसकी 1/4 राशि तुरन्त जमा करानी होगी।

06. अमानत राशि एवं 1/4 राशि को समायोजित करते हुए शेष राशि सक्षम स्तर से स्वीकृति के बाद 24 घंटे के अन्दर जमा करानी आवश्यक होगी अन्यथा अमानत राशि एवं 1/4 राशि जब्त कर ली जावेगी।

07. स्वीकृत नीलामी राशि के अतिरिक्त जीएसटी एवं आयकर राशि देनी होगी।

08. अन्य कोई भी कर जो सरकार को देय होगा वह स्वीकृत बोलीदाता द्वारा देय होगा।

09. नीलामी की बोली स्वीकृति की सूचना से 3 दिवस के अन्दर–अन्दर न्यास कार्यालय स्टोर से सामान उठाना होगा। अन्यथा जमा राशि जब्त कर ली जावेगी।

10. सामान की बोली मौके पर लौटबाईज (Lotwise) की जावेगी।

11. लोहे के सामान (भारी) का तौल कर नीलाम किया जायेगा।

सचिव

नगर विकास न्यास, अलवर

I:\uit\Jasvinder store keepar\useles material letter.docx